मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
—::—

क्रमांक 2127/आर 1133/2009/ब—1/चार भोपाल, दिनांक 17/10/2014

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रेदश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय।

2. विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी
म0प्र0 ।

विषयः—आयोजना मद अंतर्गत विभागों द्वारा त्रैमासिक बजट आबंटन का निर्धारण प्रक्रिया ।

संदर्भः—1. इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक 642/1133/2009/चार/ब—1, दिनांक 16/07/2010.
2. इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक 845/1133/2009/चार/ब—1, दिनांक 28/09/2010.

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से आयोजना मद के बजट आबंटन में त्रैमासिक व्यवस्था लागू की गयी है । जारी परिपत्रों के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा त्रैमासिक बजट वितरण व्यवस्था के तहत विभागों द्वारा त्रैमासिक बजट का निर्धारण किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया लागू की जाती हैः—

1. विभाग द्वारा बजट आबंटन प्राप्त होने से एक माह की समयावधि (बजट जारी होने के पश्चात) में बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा त्रैमासिक बजट का वितरण किया जावे । त्रैमासिक बजट का वितरण समयावधि में नहीं किये जाने की स्थिति में संचालनालय कोष एवं लेखा म0प्र0 के सेन्ट्रल सर्वर पर अनुपातिक/समान रूप से त्रैमासिक बजट वितरण स्वतः कर दिया जावेगा ।
2. किसी त्रैमास के अंत में राशियों का अग्रिम आहरण कर बैंक खातों में रखा जाना प्रतिबंधित रहेगा । इस संबंध में म0प्र0 कोषालय संहिता भाग एक के सा0नि0 284 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध है ।

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

निरंतर...2

क्रमांक 2128 /आर 1133/2009/ब–1/चार/ भोपाल, दिनांक 17/10/2014

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय ।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, संचालक बजट, वित्त विभाग ।
3. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव,समस्त बजट शाखाएँ, वित्त विभाग ।
4. वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय ।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म0प्र0
6. समस्त कोषालय अधिकारी म0प्र0
7. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला म0प्र0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग